



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 336) पटना, मंगलवार, 1 अप्रील 2014

बिहार विद्युत विनियामक आयोग
विद्युत भवन-2, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800021

अधिसूचनाएं

(पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तों) विनियमावली, 2014।

संख्या-बी0इ0आर0सी0-Estb-05/14- 02

पटना, दिनांक : 28-03-2014

विद्युत अधिनियम, 2003 (सं0 36, 2003) की धारा 181, उपधारा 2 (zk) सह पठित धारा 91 की उप धारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तों को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

अध्याय-I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और उपयोजन-

- (1) यह विनियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तों) विनियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
- (2) यह शासकीय गजट में उसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगी।
- (3) यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (1)(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (36, 2003) ;
- (ख) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग ;
- (ग) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है ;
समूह “क” एवं “ख” के पदों के संबंध में आयोग तथा समूह “ग” एवं “घ” के पदों के संबंध में आयोग के सचिव या अन्य पदाधिकारी जिसे आयोग द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गयी है।
- (घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष;
- (ङ) “अनुशासनिक प्राधिकार” से अभिप्रेत है समूह “क” एवं “ख” के सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष और समूह “ग” एवं “घ” के पदों के संबंध में आयोग के सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी जिसे इस तरह की शक्ति आयोग द्वारा प्रदान की गयी हो अथवा बिहार विद्युत विनियामक आयोग का कोई अन्य कृतकारी, जिन्हें सुसंगत परिनियम के अधीन किसी भी विशेष श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में अनुशासनिक शक्तियाँ आयोग द्वारा प्रदान की गयी हों, परन्तु यह कि उन पदाधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में, जो प्रतिनियुक्ति पर है, उनके अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण, उनके मूल संगठन के सुसंगत नियमों के अनुसार होगा;
- (च) “सक्षम प्राधिकार” से अभिप्रेत है अध्यक्ष और आयोग में ऐसे अन्य पदाधिकारी या पदाधिकारीगण, जिन्हें आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर, अभिहित किया गया हो;
- (छ) “पदाधिकारी” से अभिप्रेत है समूह “क” एवं “ख” के कार्मिक तथा “कर्मचारी” से अभिप्रेत है समूह “ग” एवं “घ” के कार्मिक ;
- (ज) “कृत्य” से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है आयोग के सभी कार्य एवं संबंधित किया-कलाप;
- (झ) “सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य;
- (ञ) “सचिव” से अभिप्रेत है आयोग का सचिव अथवा आयोग का कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे सीमित अवधि के लिए सचिव की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;
- (ट) “चयन समिति” से अभिप्रेत है आयोग में विद्यमान पदों पर नियुक्ति करने के लिए इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार सभी समूहों ‘क’ से ‘घ’ तक के पदों पर नियुक्ति करने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति;

- (ठ) “सेवा” से अभिप्रेत है आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवा;
- (ड) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ढ) “वर्ष” से अभिप्रेत है वित्तीय-वर्ष।
- (त) “सीधी भर्ती” से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियुक्ति, जो स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर की गयी नियुक्ति के अलावा की गयी है।
- (थ) “संविदा के आधार पर नियुक्ति” से अभिप्रेत है किसी सीमित अवधि के लिए इस विनियामवली के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति।
- (2) इन विनियमावली में प्रयुक्त, किंतु इसमें अपरिभाषित “शब्दों” और “अभिव्यक्तियों” का, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में उनके लिए समनुदेशित किया गया हो।

अध्याय-II

पदों का वर्गीकरण, स्वीकृत पद और नियुक्ति-रीति

3. स्वीकृत पद-

- (1) आयोग की स्थापना द्वारा धारित पदों के पदनाम एवं वर्गीकरण, स्वीकृत बल और वेतनमान जैसा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट किए जाएंगे और आयोग द्वारा यथा आकलित मानव संसाधन की आवश्यकता पर आधारित आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श के अध्यधीन उसका संशोधन किया जा सकेगा। पदों को भरने की कारवाई आवश्यकतानुसार आयोग के विवेक के अनुसार की जाएगी।
- (2) विनियमन 3 (1) से यह अर्थ अभिव्यजित नहीं किया जाएगा कि हर समय सभी कोटियों के पदों पर कर्मचारियों की सेवायें आयोग को अपेक्षित हैं।

4. योग्यता, अनुभव और नियुक्ति -रीति

- (1) आयोग की स्थापना में पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता सेवा, वेतनमान और अनुभव इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-II में यथा विहित होंगे। आयोग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति या तो
- (क) सीधी/नियमित भर्ती के आधार पर, जो अनुसूची-II के क्रमांक 27, 28, 29, 32, 33 एवं 34 में उल्लिखित है

- (ख) प्रतिनियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा पर, जो अनुसूची-II के क्रमांक 1 में उल्लिखित है
- (ग) प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा के आधार पर, जो अनुसूची-II के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11¹] 14, 19, 21, 24 एवं 25 में उल्लिखित है,
- (घ) प्रतिनियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा/सीधी भर्ती के आधार पर, जो अनुसूची-II के क्रमांक 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30 एवं 31 में उल्लिखित है
- ² (ङ) प्रोन्नति अथवा प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सीधी भर्ती/संविदा के आधार पर, जो अनुसूची-II के क्रमांक 11 एवं 23 में उल्लिखित है] या
- (च) प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में सीधी भर्ती के आधार पर जो अनुसूची-II के क्रमांक 26 में उल्लिखित है, की जायेगी।
- (2) आयोग को किसी खास रिक्ति या रिक्ति-समूह अथवा सभी रिक्तियों की भर्ती/नियुक्ति करने की रीति निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- (3) **प्रोन्नति** — आयोग द्वारा की जानेवाली सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के लिए विनियमावली से संलग्न अनुसूची-II में यथा विहित प्रोन्नति के प्रावधान के साथ सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति के प्रावधान लागू होंगे।
- (4) आयोग द्वारा की जानेवाली सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रावधान भी लागू होंगे।

[1] बिहार गजट सं0 606 दिनांक 29.05.2015 द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2015 के आलोक में कंडिका 4(1)(ग) से अनुसूची-II के क्रमांक 11 को विलोपित किया गया।

[2] बिहार गजट सं0 606 दिनांक 29.05.2015 द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2015 के आलोक में कंडिका 4(1)(ङ) को प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय— III नियुक्ति के लिए पात्रता एवं शर्तें

नियुक्ति के लिए पात्रता

5. नियुक्ति के लिए पात्रता

किसी भी व्यक्ति को आयोग की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा

- (क) जब तक कि वह, केन्द्र या राज्य सरकार के श्रेणी-1 के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा यथा— प्रमाणित अच्छे आचरणयुक्त चरित्र का व्यक्ति है।
- (ख) यदि वह कदाचार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी सरकारी अथवा प्राइवेट सेवा (जॉब) से बर्खास्त अथवा हटा दिया गया हो।

6. प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी शर्तें

- (1) इस विनियमावली के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रथमतः 3 (तीन) वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी, जिसे आयोग द्वारा यथा नामित अभिहित प्राधिकार द्वारा प्रेषित निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर आयोग के विवेक पर अनुक्रमिक प्रत्येक एक वर्ष अधिकतम दो वर्षों के लिए आगे अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
- (2) इस विनियमावली के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त व्यक्तियों का प्रथम नियुक्ति दो वर्षों के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उन्हें सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी। संविदा के आधार पर नियुक्त होनेवाले गैर सेवानिवृत्त उम्मीदवार की नियुक्ति सर्वप्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं उनका कार्य समीक्षोपरांत संतोषप्रद पाये जाने पर आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार किया जायेगा।

अध्याय— IV

भर्ती एवं नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें

7. भर्ती संबंधी प्रक्रिया

- (1) राज्य सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मार्गदर्शनों के अध्याधीन इस विनियमावली से संलग्न अनुसूची— II में अन्तर्विष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए आयोग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जाएगी।
- (2) आवश्यकता पड़ने पर, आयोग कतिपय रिक्तियों को सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा के द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, भरने के लिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या संविदा के आधार पर अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्तियों की संख्या को प्रेस

के माध्यम से, सरकारी विभागों (केन्द्र और राज्य सरकार दोनों) में परिचालन द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों को कार्य (जॉब) की आवश्यकताओं के साथ पूर्ण ब्यौरा सहित, अपेक्षित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता वेतन संरचना आदि के साथ अधिसूचित करेगा और भावी आवेदकों को कार्य (जॉब) आवश्यकता के लिए प्रत्युत्तर देने हेतु 4 (चार) सप्ताहों से अन्यून समय प्रदान करेगा। संविदा पर नियुक्तियों के लिए अत्यावश्यक होने की दशा में, कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस अवधि को समुचित अवधि के लिए कम किया जा सकता है। जैसा कि अनुसूची-I में दिया गया है आयोग के सचिव को छोड़कर, विभिन्न पदों पर नियुक्ति आयोग द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

- (3) चयन समिति पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगी। चयन समिति की अनुशंसा एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आयोग द्वारा यथा विस्तारित अवधि तक मान्य रहेगी।
- (4) प्रतिनियुक्ति को छोड़कर सभी नियुक्तियाँ उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्तों के सत्यापन के अध्वधीन, वैसी रीति से जैसा कि आयोग उचित समझे, होगी।
- (5) **आरक्षण**— आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

8. सीधी भर्ती के मामले में परिवीक्षा अवधि

- (1) सभी सीधी भर्ती के नव-नियुक्तों की परिवीक्षा अवधि उनके कार्यग्रहण की तिथि से 2 (दो) वर्षों की होगी और इस संदर्भ में राज्य सरकार के नियम उन पर लागू होंगे।
- (2) तथापि, उपार्जित छुट्टी या असाधारण छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी पर बिताई गई अवधि अथवा कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति की कोई अवधि, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो, को परिवीक्षा अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (3) यदि परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी नियुक्त व्यक्ति का कार्य निष्पादन संतोषजनक अथवा स्तर तक न पाया जाए, तब परिवीक्षा-अवधि का विस्तार अधिकतम 6 (छह) माह के लिए किया जा सकता है अथवा आयोग अपने विवेक पर एक माह के वेतन के भुगतान के अध्वधीन उस नियुक्त व्यक्ति को तुरत सेवा से हटा सकता है।
- (4) सेवारत किसी कर्मचारी की नियुक्ति के मामलों में, आयोग में कार्यग्रहण करने के पूर्व उसे पहले पूर्व कार्य (जॉब) को त्याग करना होगा। किसी भी तथ्य को छिपाने पर, आयोग की नौकरी से उसे हटा दिया जा सकता है।

9. वार्धक्य निवृत्ति

नियमित आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथाविनिहित वार्धक्य निवृत्ति की उम्र हो जाने पर आयोग की सेवा से निवृत्त हो जाएंगे।

10. त्यागपत्र

नियमित आधार पर नियुक्त आयोग का कोई कर्मचारी आयोग को नब्बे दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। तथापि, आयोग अपने विवेक से, आपवादिक मामलों में उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए इस शर्त को शिथिल कर सकता है।

11. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति

- (1) प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता मानदण्ड इस विनियमावली की अनुसूची- II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार होंगे, किन्तु योग्य मामलों में कारणों को अभिलिखित करते हुए (शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर) ऐसी पात्रता संबंधी शर्तों को आयोग को शिथिल करने का विवेकाधिकार होगा।
- (2) आयोग प्रतिनियुक्ति से रिक्तियों को भर सकता है। किंतु प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी। तथापि, बिहार सरकार के वित्त विभाग की सहमति से प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक बढ़ायी जा सकेगी।
- (3) केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा अवधि सभी प्रकार के सेवा-लाभों के प्रयोजनार्थ यथा निरंतर समझी जाएगी।
- (4) सरकारी विभाग/ पब्लिक सेक्टर-उपक्रम, स्वायत्त निकाय, आदि से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वेतन, भत्ते, और अन्य लाभ तथा सेवा शर्तें समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित मानक शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी।
- (5) प्रतिनियुक्ति पर पदग्रहण करने वाले व्यक्तियों को यह विकल्प होगा कि वे प्रतिनियुक्त पद के वेतनमान में सामान्य नियमों के अधीन वेतन निर्धारण का चुनाव करें अथवा मूल संघटन के समय-समय पर मूल वेतन और वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रतिनियुक्ति भत्ता को।
- (6) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित आयोग की सेवा में कार्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति कार्य ग्रहण की तिथि को उनके विरुद्ध बकाया, उधार, अग्रिम और अन्य देय रकम को

चुकाने या मूल संगठन को उनके द्वारा अन्यथा गृहीत दायित्व को मूल शर्तों के अनुसार पूरा करने का दायी होगा।

- (7) यदि प्रतिनियुक्त व्यक्ति मूल संगठन के अपने ग्रेड के वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता के लिए विकल्प देता है, तो आयोग के अधीन उपलब्ध भत्ता और अनुलाभ को उसके मूल संगठन में उन्हें अनुमान्य दरों पर गणना की जाएगी।
- (8) प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले व्यक्तियों की सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन स्कीम, यथास्थिति, उनके मूल संगठन में लागू उपबंधों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (9) किसी कर्मचारी द्वारा आयोग में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी नहीं की है इस तथ्य के होते हुए भी, आयोग को ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि उस कर्मचारी की सेवा की जरूरत नहीं रह गई है, आयोग अपने विवेक से उस कर्मचारी की सेवा उसके मूल संगठन को वापस करने का अनुमोदन कर सकेगा।
- (10) सेवा की अन्य शर्तों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित नियमों द्वारा लागू किया जाएगा।

12. नियमित अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए अन्य अनुमान्यता।

संविदा के आधार से भिन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी अपने वेतनमान के समरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुमान्य परिवहन, टेलीफोन, यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता की सुविधाओं के पात्र होंगे जो कार्य के स्वरूप और उन्हें सौंपे गए कार्य के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा यथोचित संशोधन के अध्वधीन होगा।

13. संविदा पर नियुक्ति

- (1) संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता मानदंड इस नियमावली में संलग्न अनुसूची- II में यथा विहित होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अध्वधीन होगा। योग्य मामलों में कारणों को अभिलेखित करते हुए (शैक्षणिक योग्यता छोड़कर) सभी समूहों-क से घ तक के पदों के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को शिथिल करने का आयोग को विवेकाधिकार होगा।
- (2) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में एक करार करेंगे, जो उनकी नियुक्ति संबंधी व्यापक सेवा-शर्तों को नियंत्रित करेगा।
- (3) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे। पारिश्रमिक का निर्धारण राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्रों तथा उसमें समय-समय पर संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

- (4) सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों, आदि से, सेवा निवृत्त व्यक्तियों के मामले में, जहाँ पेंशन योजना अस्तित्व में है, पारिश्रमिक जोड़ पेंशन उनके अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।
- (5) संविदा के आधार पर नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवा उचित और पर्याप्त कारणों को लिखित रूप में अभिलेखन करते हुए एक माह की सूचना अथवा उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान कर समाप्त की जा सकती है।

अध्याय – V वेतन एवं भत्ते

14. वेतन निर्धारण

- (1) नियमित कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के अधीन समान ग्रेड/वेतनमान के कर्मचारियों के समरूप होगा।
- (2) नियमित आधार पर नियुक्त किसी कर्मचारी का वेतन सुसंगत वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

15. भत्ते

- (1) संविदा के आधार से अन्यथा भिन्न नियुक्त आयोग के कर्मचारी समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुमान्य महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सवारी भत्ता और मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे।
- (2) आयोग के कर्मचारी समयोपरि भत्ता के पात्र नहीं होंगे।
- (3) आयोग के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो समय समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।

अध्याय-VI अन्य सेवा-शर्तें

16. छुट्टी एवं अन्य शर्तें

- (1) अवकाश एवं सेवा-शर्तें वही होंगी जैसा कि समतुल्य ग्रेड के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हैं।
- (2) रियायती अवकाश यात्रा
संविदा के आधार से अन्यथा नियुक्त आयोग के कर्मचारी समय समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुमान्य रियायती अवकाश यात्रा के पात्र होंगे।
- (3) चिकित्सा –सेवा

नियमित कर्मचारी एवं प्रतिनियुक्त व्यक्ति समय-समय पर संकल्प/परिपत्रों द्वारा यथा संशोधित राज्य सरकार (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा विहित चिकित्सा-सेवा नियमावली के अनुसार चिकित्सीय उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(4) **सामान्य भविष्य निधि**

संविदा के आधार से अन्यथा नियुक्त आयोग के कर्मचारी राज्य सरकार/राज्य के पब्लिक उपक्रम/ राज्य के स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के समान सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि/ नई पेंशन योजना (जैसा जिस मामले में लागू) अंशदान के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त पदधारी यदि अंशदायी भविष्य निधि/ नई पेंशन योजना के सदस्य हैं, तो वैसे पदधारियों के मामलों में यथा लागू नियोजक के अंशदान का वहन आयोग करेगा।

(5) **पेंशन**

आयोग के नियमित कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू पेंशन- लाभ के पात्र/ हकदार होंगे। तथापि दिनांक 01.09.2005 (1 सितम्बर, 2005) को या उसके बाद नियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारी नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र होंगे।

(6) **यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता**

संविदा के आधार से अन्यथा नियुक्त आयोग के कर्मचारी यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(7) **परिवहन**

आवश्यकता के अनुरूप अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव एवं निदेशकों के लिए गाड़ियाँ किराये पर ली जा सकेंगी।

(8) **आवासीय दूरभाष**

कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर आयोग अपने पदाधिकारियों के लिए आवासीय दूरभाष की पात्रता का निर्धारण करेगा।

अध्याय – VII

प्रकीर्ण

17. **सी.सी.ए. एवं आचरण नियमों की प्रयोज्यता**

बिहार सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम और बिहार सिविल सेवा (आचरण) नियम के उपबंध, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय

पर यथा संशोधित रूप में लागू है, आयोग के कर्मचारियों के लिए यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

18. किसी सेवा शर्त के अन्य प्रावधान, जिनका उल्लेख विनियमावली में विशेष रूप से नहीं किया गया है, आयोग के सीधी भर्ती के कर्मचारी, आयोग द्वारा समुचित विनियम अधिसूचित होने तक, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा-नियमावली द्वारा नियंत्रित होंगे।

19. सेवा अभिलेख और कार्य निष्पादन

- (1) सभी कर्मचारियों के सेवा-अभिलेख आयोग द्वारा अनुमोदित फारम में संधारित होंगे।
(2) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन एवं समीक्षा आयोग द्वारा विहित रीति से और विहित फारम में किया जाएगा।

20. शिथिलीकरण

आयोग द्वारा लोकहित में और कारण का लिखित रूप में अभिलेखन करते हुए इस विनियमावली के किसी उपबंध को, साथ ही समुचित मामलों में पदों पर नियुक्ति की पात्रता संबंधी मानदंड को, राज्य सरकार से परामर्श कर शिथिल किया जा सकता है।

21. निर्वचन

इस विनियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

22. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति

इस विनियमावली के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसके निराकरण के लिए, आयोग जैसा उचित और आवश्यक समझे आदेश द्वारा ऐसा उपबंध बना सकता है अथवा ऐसा निदेश प्रदान कर सकता है।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव,
बिहार विद्युत विनियामक आयोग,
पटना

बिहार विद्युत विनियामक आयोग
(पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तें)
विनियमावली, 2014

अनुसूची-1

बिहार विद्युत विनियामक आयोग में बिहार सरकार द्वारा मार्च, 2002 में स्वीकृत तकनीकी, अनुसचिवीय एवं समूह "घ" पदों का विवरण।

स्वीकृत पद – प्रावस्था –I एवं II
समूह 'क' एवं 'ख' पद

क्र. सं.	पदनाम	वेतन-बैण्ड / वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या	कोटि
1	सचिव	37400-67000, जी.पी-10000	1	ग्रुप 'क'
2	निदेशक (परियात)	37400-67000, जी.पी-10000	1	"
3	निदेशक (तकनीकी)	37400-67000, जी.पी-10000	1	"
4	संयुक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य)	37400-67000, जी.पी-8700	1	"
5	संयुक्त निदेशक (अभियंत्रण)	37400-67000, जी.पी-8700	1	"
6	संयुक्त निदेशक (वितरण)	37400-67000, जी.पी-8700	1	"
7	संयुक्त निदेशक (संचरण)	37400-67000, जी.पी-8700	1	"
8	संयुक्त निदेशक (विधि)	37400-67000, जी.पी-8700	1	"
9	उप निदेशक (अर्थशास्त्र)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
10	उप निदेशक (वाणिज्य)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
11	उप निदेशक (लेखा)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
12	उप निदेशक (अभियंत्रण) – (संचरण परियात)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
13	उप निदेशक (अभियंत्रण) – (वितरण परियात)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
14	उप निदेशक (कार्मिक)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
15	उप निदेशक (सांख्यिकी एवं मिडिया)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
16	उप निदेशक (वितरण)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
17	उप निदेशक (संचरण)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
18	उप निदेशक (उत्पादन)	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
19	सूचना-तकनीकी प्रणाली प्रबंधक	15600-39100, जी.पी-7600	1	"
20	वित्तीय विश्लेषक	15600-39100, जी.पी-6600	1	"
21	वरीय निजी सचिव	15600-39100, जी.पी-6600	3	"
22	विधि पदाधिकारी	9300-34800, जी.पी-4800	2	ग्रुप 'ख'
23	निजी सचिव	9300-34800, जी.पी-4800	3	"
24	प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशासन)	9300-34800, जी.पी-4800	1	"
25	प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)	9300-34800, जी.पी-4800	1	"
26	कार्यालय सहायक	9300-34800, जी.पी-4600	1	"

समूह 'ग' एवं 'घ' पद

क्रमांक	पदनाम	वेतन-बैण्ड/वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या	कोटि
27	अवधायक	5200-20200, जी.पी-2400	1	ग्रुप 'ग'
28	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	5200-20200, जी.पी-2400	1	"
29	आशुलिपिक	5200-20200, जी.पी-2400	6	"
30	लेखा सहायक	5200-20200, जी.पी-2400	1	"
31	रोकडपाल	5200-20200, जी.पी-2400	1	"
32	कम्प्यूटर प्रचालक	5200-20200, जी.पी-2400	5	"
33	चालक	5200-20200, जी.पी-1900	3	"
34	चपरासी/ आदेशपाल	5200-20200, जी.पी-1800	13	ग्रुप 'घ'

बिहार विद्युत विनियामक आयोग
(पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा-शर्तें)
विनियमावली, 2014

अनुसूची – II

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
1	सचिव	37400-67000, जी.पी. 10000	प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2-नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8900 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8700 या समतुल्य में कुल चार साल की नियमित सेवा।	1-विनियामक निकाय अधिमानतः विद्युत प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव। 2- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में वित्त, अभियंत्रण, विधि, प्रबंधन या सामान्य प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का अनुभव। 3-विद्युत अधिनियम 2003 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
2	निदेशक (परियात)	37400-67000, जी.पी. 10000	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर संविदा	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8900 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8700 या समतुल्य में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 37400-67000, जी. पी. 8700 में तीन वर्षों की सेवा।	1- विद्युत अभियंता के रूप में विद्युत परियात निर्माण एवं विश्लेषण करने में, वाणिज्यिक विषयों, ऊर्जा प्रक्षेत्र की उपयोगिताओं में ऊर्जा क्रय एकरारनामा निर्माण का अनुभव। 2- एम.बी.ए. (पावर इंजीनियरिंग) 3- ऊर्जा उपयोगिता के वित्त एवं लेखा का ज्ञान। 4-विद्युत अधिनियम 2003 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
3	निदेशक (तकनीकी)	37400-67000, जी.पी. 10000	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर संविदा व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8900 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 37400-67000 जी० पी० 8700 या समतुल्य में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 37400-67000, जी. पी. 8700 में तीन वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में उर्जा प्रक्षेत्र के उत्पादन, संचरण एवं वितरण विषयों में योजना/रूपांकन एवं प्रचालन का अनुभव। 2- ऊर्जा/विद्युत प्रणाली का रख-रखाव एवं प्रचालन, ग्रीड प्रबंधन का अनुभव। 3- विद्युत उत्पादन, संचरण तथा वितरण का मानक निरूपित करने की क्षमता। 4-विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
4	संयुक्त निदेशक (अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य)	37400-67000, जी.पी. 8700	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर या एम० बी० ए० (वित्त) या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट या सी.एफ.ए.। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 7600 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 7600 में दो वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में अर्थशास्त्री के रूप में व्यावसायिक अनुभव। 2- विद्युत परियात निर्माण एवं विश्लेषण का अनुभव। 3- डाटा बेस दक्षता एवं विश्लेषणात्मक मॉडलिंग के साथ स्प्रेडशीट का अनुभव।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
5	संयुक्त निदेशक (अभियंत्रण)	37400-67000, जी.पी. 8700	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 7600 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य वेतनमान में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 7600 में दो वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में योजना प्रणाली, प्रचालन, संचरण रख-रखाव एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुसंगत अनुभव के साथ अद्यतन तकनीकी विकास का अनुभव। 2- विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण का मानक स्थापित करने का ज्ञान। 3- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
6	संयुक्त निदेशक (वितरण)	37400-67000, जी.पी. 8700	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 7600 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 7600 में दो वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में संचरण एवं वितरण का व्यावसायिक अनुभव के साथ अद्यतन तकनीकी विकास का ज्ञान। 2- वितरण प्रणाली में प्रचालन का अनुभव। 3- वाणिज्यिक एवं आर्थिक मुद्दा/ परियात मुद्दा/ विद्युत क्रय करार का ज्ञान। 4- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
7	संयुक्त निदेशक (संचरण)	37400-67000, जी.पी. 8700	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 7600 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य वेतनमान में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 7600 में दो वर्षों की सेवा।	— राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में संचरण एवं वितरण का व्यावसायिक अनुभव के साथ अद्यतन तकनीकी विकास का ज्ञान। 2- संचरण प्रणाली में प्रचालन का अनुभव 3- वाणिज्यिक एवं आर्थिक मुद्दा/ परियात मुद्दा/ विद्युत क्रय करार का ज्ञान। 4- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
8	संयुक्त निदेशक (विधि)	37400-67000, जी.पी. 8700	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 7600 या समतुल्य में दो साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य वेतनमान में कुल चार साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 7600 में दो वर्षों की सेवा या वेतनमान 15600-39100, जी.पी. 6600 में चार वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में कार्यवाही, अर्जी, बहस, सहित विधिक विषयों पर कार्य करने का अनुभव। प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं संविदा विधि (कॉन्ट्रैक्ट लॉ) का अनुभव। 2- नियमावली/विनियमावली का प्रारूप तैयार करने का अनुभव। 3- विद्युत कानूनों से भिन्न। 4- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
9	उप निदेशक (अर्थव्यवस्था)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट या एम.बी.ए. (फाईनान्स) या सी.एफ.ए.। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में कुल पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 6600 में तीन वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में व्यावसायिक अर्थशास्त्र विश्लेषक के रूप में अनुभव। 2- डाटा बेस तैयार करने की क्षमता एवं माडलिंग विश्लेषणात्मक सहित स्प्रेडशीट का अनुभव।
10	उप निदेशक (वाणिज्य)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	वाणिज्य या गणित या समतुल्य में स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट या एम.बी.ए. (फाईनान्स) या सी.एफ.ए.। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 6600 में तीन वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में व्यावसायिक अनुभव, परियात निर्माण, या लागत विश्लेषण या वित्तीय प्रबंधन का अनुभव। 2- वाणिज्यिक उद्यम/सरकारी वित्तीय लेखा प्रक्रिया की जानकारी।
11	उप निदेशक (लेखा)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा/सीधी भर्ती]	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या गणित या समतुल्य में स्नातकोत्तर या सुविख्यात संस्थान से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कॉस्ट एकाउन्टेन्ट या सी.एफ.ए. या एम.बी.ए. (फाईनान्स)। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 6600 में तीन वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में लेखा का व्यवसायिक अनुभव। 2- सरकारी या वाणिज्यिक उद्यम के लेखा एवं लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रक्रिया का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
12	उप निदेशक (अभियंत्रण, संचरण परियात)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/ सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक । 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में विद्युत परियात मुद्दों का अनुभव। 2- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
13	उप निदेशक (अभियंत्रण) (वितरण परियात)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/ सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में विद्युत परियात मुद्दों का अनुभव। 2- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
14	उप निदेशक (कार्मिक)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रोन्नति/ प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 6600 में तीन वर्षों की सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में प्रशासनिक अनुभव।
15	उप निदेशक (सांख्यिकी एवं मिडिया)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/ सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर । 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में सांख्यिकी एवं जनसंचार का अनुभव। 2- प्रस्तुतीकरण को तैयार करने एवं प्रकाशित करने का अनुभव।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
16	उप निदेशक (वितरण)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा / सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में व्यवसायिक अनुभव। 2- वितरण का प्रचालन अनुभव। 3- वाणिज्यिक एवं आर्थिक मुद्दों/ परियात मुद्दा/ ऊर्जा क्रय करार का ज्ञान। 4- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
17	उप निदेशक (संचरण)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा / सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में संचरण एवं वितरण का अनुभव। 2- वाणिज्य एवं आर्थिक मुद्दा/परियात मुद्दा/विद्युत क्रय करार का ज्ञान। 2- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
18	उप निदेशक (उत्पादन)	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रतिनियुक्ति / प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा / सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ ऊर्जा अभियंत्रण में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में व्यवसायिक अनुभव। 2- उत्पादन का प्रचालन अनुभव। 3- उत्पादन परियात मुद्दों/ ऊर्जा क्रय करार का अनुभव। 4- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
19	सूचना तकनीकी प्रणाली प्रबंधक	15600-39100, जी.पी. 7600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- बी०ई०/ बी० टेक कम्प्यूटर/ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर अप्लिकेशन या उक्त विषय में स्नातकोत्तर 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 6600 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 15600-39100, जी. पी. 6600 में तीन वर्षों की सेवा या 15600-39100, जी.पी. 5400 में पाँच वर्षों की सेवा। प्रोन्नति के लिए कम्प्यूटर अप्लिकेशन में स्नातक योग्यता पर्याप्त होगी।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में प्रबंधकीय दायित्व सहित कम्प्यूटर प्रचालन का अनुभव। 2- प्रबंधन एवं एम.आई.एस. तथा वेब साईट निर्माण से भिन्न।
20	वित्तीय विषय लेषक	15600-39100, जी.पी. 6600	प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति से उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में सीधी भर्ती/संविदा	1- वाणिज्य या गणित में स्नातकोत्तर/चारटर्ड एकाउन्टेन्ट / कॉस्ट एकाउन्टेन्ट/एम.बी.ए. (फाईनान्स) या सी.एफ.ए.। 2- प्रतिनियुक्ति या संविदा के लिए नियमित रूप से सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 15600-39100 जी० पी० 5400 या समतुल्य में तीन साल की नियमित सेवा, या वेतनमान रु० 9300-34800 जी०पी० 4800 या समतुल्य में कुल छः साल की नियमित सेवा। 3- सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के साथ कम से कम तीन वर्षों का कार्य अनुभव उपरोक्त क्षेत्र में।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में लेखा का अनुभव। 2- ऊर्जा प्रक्षेत्र में अनुभव।
21	वरीय निजी सचिव	15600-39100, जी.पी. 6600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से राज्य/ केन्द्र सरकार या उनके किसी उपक्रम/स्वशासी संस्था/वैधानिक संस्था में सदृश पद का धारक, वेतनमान 9300-34800 जी०पी० 5400 या समतुल्य में पाँच साल की सेवा, या वेतनमान रु० 9300-34800 जी०पी० 4800 या समतुल्य में कुल सात साल की सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 9300-34800 जी.पी. 4800 में सात साल की सेवा। 4- एम.एस.ऑफिस, इन्टरनेट एवं ईमेल का ज्ञान। 5- आशुलिपिक एवं टंकण में दक्ष।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय/या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन का अनुभव जिसमें मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निजी सचिव के रूप में की गयी सेवा शामिल हो। 2- विद्युत विनियामक निकाय के अनुभव को अधिमानता।

क्रमिक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
22	विधि पदाधिकारी	9300-34800, जी.पी. 4800	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/ सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए सदृश पद धारक पदाधिकारी, या वेतनमान रु० 9300-34800 जी०पी० 4200 या समतुल्य में कुल तीन साल की सेवा। 3- सीधी भर्ती के लिए विधि कार्य का पाँच वर्षों का अनुभव।	1- राज्य/केन्द्र सरकार/ लोक उपक्रम / सांविधिक निकाय/ ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में विधि कार्य का अनुभव। 2- विद्युत अधिनियम 2003 एवं इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावलियों एवं विनियमावलियों का ज्ञान।
23	निजी सचिव	9300-34800, जी.पी. 4800	प्रोन्नति/ प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर सीधी भर्ती/ संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से राज्य/ केन्द्र सरकार या उनके किसी उपक्रम/स्वशासी संस्था/वैधानिक संस्था में सदृश पदधारक या वेतनमान 9300-34800, जी.पी. 4600 में चार वर्षों की सेवा या वेतनमान 5200-20200 जी० पी० 2800 या समतुल्य में छः साल की नियमित सेवा या वेतनमान 5200-20200 जी.पी. 2400 में आठ वर्षों की नियमित सेवा। 3- कम्प्यूटराइज्ड वर्ड प्रोसेसिंग का सुज्ञाता 4- आशुलिपि एवं टंकण में दक्ष। 5-एम.एस.आफिस, इन्टरनेट एवं ईमेल का ज्ञान 6-प्रोन्नति के लिए वेतनमान 9300-34800, जी.पी. 4600 में चार वर्षों की सेवा या वेतनमान 5200-20200 जी.पी. 2400 के पद पर आठ वर्षों की सेवा। 7- सीधी भर्ती के लिए वांछनीय शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/स्वशासी संस्था/सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में आशुलिपिक के रूप में कम से कम पाँच वर्ष के साथ निजी सचिव के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में आशुलिपिक/टंकण का अनुभव जिसमें मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निजी सहायक का अनुभव शामिल हो। 2- विद्युत विनियामक निकाय के अनुभव को अधिमानता।
24	प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशासन)	9300-34800, जी.पी. 4800	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए नियमित रूप से राज्य/ केन्द्र सरकार या उनके उपक्रम/स्वशासी संस्था/वैधानिक संस्था में सदृश पदधारक पदाधिकारी, या वेतनमान 9300-34800 जी० पी० 4600 या समतुल्य में पाँच साल की नियमित सेवा। 3- प्रोन्नति के लिए वेतनमान 9300-34800 जी.पी. 4600 के पद पर आयोग में पाँच वर्षों की सेवा।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों की स्थापना/ प्रशासनिक मामले एवं सेवा अभिलेख को संधारित करने का अनुभव। 2-सेवा संबंधी मामलों का ज्ञान। 3-कम्प्यूटर प्रचालन का अनुभव।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
25	प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)	9300-34800, जी.पी. 4800	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर संविदा	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक। 2- प्रतिनियुक्ति/संविदा पर भर्ती के लिए नियमित रूप से राज्य/ केन्द्र सरकार या उनके उपक्रम/स्वशासी संस्था/वैधानिक संस्था में लेखापाल/रोकड़पाल/लेखा सहायक पद पर आठ साल की सेवा, या केन्द्र/ राज्य सरकार या लोक उद्यम/ वैधानिक संस्था में सदृश पदधारक 3- प्रोन्नति के लिए आयोग में वेतनमान 9300-34,800, जी.पी. 4600 में पाँच वर्षों की सेवा या 5200-20200 जी.पी. 2400 के पद पर आठ वर्षों की सेवा।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का अनुभव एवं लेखा प्रक्रिया का ज्ञान।
26	कार्यालय सहायक	9300-34800, जी.पी. 4600	प्रोन्नति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2-कम्प्यूटर संचालन की योग्यता। 3- प्रोन्नति के लिए आयोग में वेतनमान 5200-20200, जी.पी. 2400 में चार वर्षों का अनुभव।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में सुसंगत अनुभव। 2- विद्युत विनियामक निकाय के अनुभव को अधिमानता।
27	अवधायक	5200-20200, जी.पी. 2400	सीधी भर्ती	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में सुसंगत अनुभव।
28	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	5200-20200, जी.पी. 2400	सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा तीन साल के सुसंगत अनुभव के साथ। 2- कम्प्यूटर साक्षर होना चाहिए।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में पुस्तकालय संचालित करने का अनुभव शामिल हो।
29	आशुलिपिक	5200-20200, जी.पी. 2400	सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा टंकण में 40 शब्द प्रतिमिनट, आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता। 2-एम.एस. ऑफिस, इन्टरनेट और ई-मेल सहित कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में सुसंगत अनुभव।

क्रमांक	पद	वेतन-बैण्ड/ वेतनमान	भर्ती के प्रकार	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
30	लेखा सहायक	5200-20200, जी.पी. 2400	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक। 2-प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के आधार पर भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पदधारक कर्मचारी, या वेतनमान रु० 5200-20200 जी०पी० 2000 या समतुल्य में कुल तीन साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में लेखा का सुसंगत अनुभव। 2-डाटा इन्ट्री, स्प्रेडशीट के अनुभव के साथ कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।
31	रोकड़पाल	5200-20200, जी.पी. 2400	प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति पर अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा/सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक। 2-संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए नियमित रूप से सदृश पदधारक कर्मचारी, या वेतनमान रु० 5200-20200 जी०पी० 2000 या समतुल्य में कुल पाँच साल की नियमित सेवा।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में रोकड़ संधारण का सुसंगत अनुभव। 2-कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान।
32	कम्प्यूटर प्रचालक	5200-20200, जी.पी. 2400	सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा टंकण की गति 40 शब्द प्र०मिनट, किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में डिप्लोमा/ कम्प्यूटिंग प्रमाण-पत्र। एम.एस. ऑफिस, इन्टरनेट, ई-मेल प्रचालन का ज्ञान।	1- राज्य/ केन्द्र सरकार या लोक उपक्रम/ सांविधिक निकाय या ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन में कम्प्यूटर प्रचालन का सुसंगत अनुभव। 2- आशुलिपिक का ज्ञान।
33	चालक	5200-20200, जी.पी. 1900	सीधी भर्ती	1- मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रवेशिका या समतुल्य। 2-हल्का मोटरवाहन का चालक अनुज्ञप्तिपत्र दो साल के स्वच्छ अनुभव के साथ। 3-चालक अनुज्ञप्ति तीन साल से प्राप्त हो।	1-वाहन संधारण एवं परिचालन में प्रवीणता। 2-यातायात के नियमों से पूर्णतः भिन्न हो।
34	चपरासी/ आदेशपाल	5200-20200, जी.पी. 1800	सीधी भर्ती	1-मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष।	1-तन्दुरुस्त शरीर का होना। 2-कार्यालय कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। 3-साईकिल चलाने ज्ञान।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव,

बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना

The 28th March 2014

(Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014

No. BERC-Estb-05/14-02

Patna, dated : **28.03.2014**

In exercise of the powers conferred by sub section 2(zk) of Section 181 read with sub-sections (1) (2) and (3) of Section 91 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Bihar Electricity Regulatory Commission with the approval of the State Govt., makes the following Regulations to regulate recruitment, terms and conditions of service of officers and staff under its control.

CHAPTER – I

GENERAL

1. Short Title, extent and Commencement

- (1) These regulations shall be called the **Bihar Electricity Regulatory Commission (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and employees) Regulations, 2014.**
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These Regulations shall apply to all officers and employees of the Bihar Electricity Regulatory Commission.

2. Definitions- In these Regulations, unless the context otherwise requires :

- (1) (a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
(b) "**Commission**" means the Bihar Electricity Regulatory Commission;
(c) "**Appointing Authority**" means Commission in respect of group 'A' & 'B' posts and Secretary or any other officer of the Commission to whom such powers have been delegated by the Commission in respect of Group-C and D posts.
(d) "**Chairman**" means the Chairman of the Bihar Electricity Regulatory Commission;
(e) "**Disciplinary Authority**" means the Chairman, Bihar Electricity Regulatory Commission in respect of all Group A and B posts and Secretary or any other officer of the Commission to whom such powers have been delegated by the Commission for all Group C and D posts or any other functionary of the Bihar Electricity Regulatory Commission to whom disciplinary powers under the relevant statute have been delegated in respect of any specific category of officers/staff by the Commission provided that in respect of those officers/employees who are

on deputation, the relevant rules of his/her parent organisation shall govern the disciplinary matters;

- (f) **"Competent Authority"** means the Chairman and such other officer or officers in the Commission designated from time to time for this purpose by the Commission;
- (g) **"Officers"** means personnel of group 'A' and 'B' and staff means personnel of group 'C' and 'D';
- (h) **"Function"** means and includes all works and related activities of the Commission;
- (i) **"Member"** means the Member of the Bihar Electricity Regulatory Commission;
- (j) **"Secretary"** means the Secretary of the Commission or any other officer of the Commission authorized by the Chairman to discharge the responsibilities of the Secretary in his/her absence for a limited period;
- (k) **"Selection Committee"** means a Committee constituted by the Commission for all Group – A to D posts in accordance with the provisions of these regulations for making appointments to the posts existing in the Commission;
- (l) **"Service"** means the service rendered by officers and staff of the Commission;
- (m) **"State Govt."** means the Government of Bihar;
- (n) **"Year"** means the financial year;
- (o) **"Direct Recruitment"** means appointment made by the Bihar Electricity Regulatory Commission other than appointment made by transfer on deputation or on contract basis.
- (p) **"Appointment on contract basis"** means appointment made by the appointing authority in accordance with the provisions of these regulations for a limited period on contract basis.
- (2) Words and expressions used in these Regulations but not defined herein, unless the context otherwise requires, shall have ordinarily the same meaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003.

CHAPTER – II

CLASSIFICATION OF POSTS, SANCTIONED POSTS & MODE OF APPOINTMENT

3. Sanctioned Posts-

- (1) The designation and classification, sanction strength and scales of pay of the posts borne on the establishment of the Commission, as approved by

the State Government shall be as specified in Schedule-I appended with these Regulations and the same may be amended, on the basis of proposal made by the Commission based on requirement of human resources as assessed by the Commission subject to consultation with the State Government. Action for filling up of the posts shall be as per requirement at the discretion of the Commission.

- (2) It shall not be construed from Regulation 3(1) that services of employees on all categories of posts are always required by the Commission.

4. Qualification, Experience & Mode of Appointment

- (1) The educational qualification and qualifying service, pay scale and experience for appointment to the posts on the establishment of the Commission shall be as prescribed in Schedule-II appended with these Regulations. The employees shall be appointed by the Commission either
- (a) on direct/regular recruitment basis, as mentioned at serial no.27,28,29,32,33 and 34 of schedule-II of these Regulations;
 - (b) on deputation or, if suitable person is not available for deputation, on contract as mentioned at serial no. 1 of schedule II of these Regulations;
 - (c) by promotion or, if suitable person is not available for promotion, on deputation and if suitable person is not available for deputation, on contract basis as mentioned at serial no. 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ¹[***] 14,19,21,24 and 25 of schedule II of these Regulations; or
 - (d) on deputation or, if suitable person is not available for deputation, on contract/direct recruitment as mentioned at serial no. 12,13,15,16,17,18,20,22,30 and 31 of schedule II of these Regulations; or
 - ²[(e) by promotion or in case of non availability of candidate for promotion, on deputation and in case of non availability of person for deputation, by direct recruitment/ on contract as mentioned at serial no. 11 and 23 of schedule II of these regulations]; or
 - (f) by promotion or, if suitable candidate is not available for promotion, by direct recruitment as mentioned at serial no. 26 of schedule-II of these Regulations.

[1] Omitted Serial No. 11 of Schedule-II from clause 4(1)(c) by the BERC (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) (1st Amendment) Regulations, 2015, 2017 vide Bihar Gazette No. 606 dated 29th May, 2015 (w.e.f. 29.05.2015).

[2] Substituted clause 4(1)(e) by the BERC (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) (1st Amendment) Regulations, 2015, 2017 vide Bihar Gazette No. 606 dated 29th May, 2015 (w.e.f. 29.05.2015).

- (2) The Commission shall have the power to determine the mode of recruitment/ appointment to a particular vacancy or a group of vacancies or all vacancies.
- (3) **Promotion**- The provision of promotion as contained in schedule-II of these Regulation together with the provision of promotion issued by the government from time to time shall be applicable to the employees appointed by direct recruitment by the Commission.
- (4) The provision of Modified Assured Career Progression Scheme issued by government from time to time shall also apply to direct recruit of the Commission.

Chapter – III

ELIGIBILITY AND TERM FOR APPOINTMENT

5. Eligibility for appointment

No person shall be appointed to the service of the Commission–

- (a) unless he/she is a person bearing a good moral character as certified by a gazetted class-I officer of the Central or State Govt.
- (b) if he has been dismissed or removed from any government or private service (job) on the ground of misconduct or moral turpitude.

6. Term of Appointment on Deputation or on Contract Basis

- (1) Deputation under these regulations shall be initially for a period not exceeding 3 (three) years which may be extended for further successive term of 1 (one) year each for maximum period of 2 (two) years at the discretion of the Commission based on performance appraisal report submitted by the designated authority as nominated by the Commission.
- (2) The appointment on contract basis under these regulations in case of retired persons shall be initially for two (2) years which may be extended as per requirement for successive periods of 1 (one) year each upto maximum age limit of 65 years after review of his performance. The appointment on contract basis, in case of non retired candidate, shall be initially for one year which may be extended as per requirement for further period if his work after review is found satisfactory.

CHAPTER – IV

PROCEDURE FOR RECRUITMENT & APPOINTMENT AND OTHER CONDITIONS

7. Procedure for Recruitment

- (1) Subject to the general guidelines issued by the State Government appointment shall be made for filling up the vacancies against the

sanctioned posts of the Commission as per educational qualification and experience contained in Schedule-II appended to these regulations.

- (2) The Commission, when required, to fill up certain vacancies by direct appointment/deputation/contract basis as it considers appropriate shall notify the number of vacancies to be filled up by direct recruitment / on deputation/ on contract basis, as it deems proper, through press, circulation to Government departments (both Central and State Govt.), public sector undertakings, educational institutions and autonomous bodies with complete details of job requirement, requisite educational and professional qualification, pay structure, etc. providing not less than 4 (four) weeks time for the prospective applicants to respond to the job requirement. In case of exigencies for appointments on contract, this period may, for the reasons to be recorded, be reduced to a reasonable period. Appointment to various posts as given in Schedule-I except that of Secretary of the Commission, shall be made, on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Commission.
- (3) The Selection Committee shall recommend candidates for appointment to the posts. The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year or up to a period as extended by the Commission.
- (4) All appointments except on deputation shall be made in a manner as the Commission considers appropriate subject to verification of character and antecedents of the candidates.
- (5) **Reservation-** The provision of reservation issued by the Govt. from time to time shall apply to appointments made by the Commission.

8. Period of Probation in case of Direct Recruitment

- (1) All direct recruits shall be on probation for a period of 2 (two) years from the date of their joining and the rules of the State Govt. in this regard shall be applicable to them.
- (2) The period of probation, however, shall not include the period spent on earned leave or extraordinary leave or medical leave or any period of unauthorised absence from duty as decided by the Commission.
- (3) In case performance of any appointee during the period of probation is not found satisfactory or up to the mark, the period of probation may be extended by a maximum of 6 (six) months or the Commission at its discretion, may terminate the appointee from service forthwith subject to payment of one month's salary.

- (4) In cases relating to appointment of a serving employee, he/she shall have to quit the previous job first before joining the Commission. Any suppression of fact may render him/her liable for termination from the service of the Commission.

9. Superannuation

All employees appointed on regular basis shall retire from the service of the Commission on attaining the age of superannuation as laid down by the State Govt. from time to time.

10. Resignation

An employee of the Commission appointed on a regular basis may resign from his post by giving ninety day's clear notice to the Commission. However, the Commission, at its discretion, may relax this condition in exceptional cases after recording the reasons thereof.

11. Appointment on Deputation

- (1) The eligibility criteria for posts to be filled on deputation shall be as per details given in Schedule-II of these Regulations provided that the Commission shall have the discretion to relax such eligibility conditions (except educational qualification) for reasons to be recorded in writing, in deserving cases.
- (2) The Commission may fill vacancies by deputation but period of deputation shall be of a maximum of three years. However, period of deputation may be extended beyond three years with the concurrence of Finance Department, Government of Bihar .
- (3) The period of service of persons appointed on deputation from Central Govt., State Govt. or Public Sector Undertaking shall be treated as continuous for the purpose of all service benefits.
- (4) The pay, allowances and other benefits and conditions of service of a persons deputed from a Government Department / Public Sector Undertaking, Autonomous Body, etc. shall be governed by the standard terms and conditions as prescribed by the State Govt. from time to time.
- (5) Persons joining on deputation shall have an option to elect to draw either pay in the scale of pay of the deputation post fixed under normal rules or basic pay in the parent organisation from time to time plus personal pay, if any, and deputation allowance as prescribed by the State Govt. from time to time.
- (6) Persons joining the service of the Commission on transfer on deputation shall be liable to repay the loans, advances and other sums due against

them on the date of joining the Commission or, otherwise admitted obligations by them to the parent organisation which remain outstanding against them on the date of joining as per the original term and conditions.

- (7) In case of a deputationist opting for his/her grade pay in the parent organisation plus deputation allowance, the allowance and perquisites available under the Commission shall be calculated at the rates admissible to him in his parent organisation.
- (8) Persons joining on deputation shall be governed by provisions applicable in their parent organisation as regards General Provident Fund/Contributory Provident Fund /Contributory Pension Scheme as the case may be.
- (9) The Commission shall have the discretion to approve the repatriation of any employee serving on deputation to his parent organisation on arriving at a conclusion that the services of such employee are not required, notwithstanding the fact that the employee has not completed the period of deputation in the Commission.
- (10) Other terms and conditions of the service shall be governed by the rules as prescribed by the State Govt. from time to time.

12. Other admissibility for appointment on regular or deputation basis

The employees appointed otherwise than on contractual basis shall be eligible for facilities of transport, telephone, travelling allowance and dearness allowance as admissible to State Govt. employees of equivalent scale of pay, subject to suitable modification by the Commission keeping in view the nature of job or assignment entrusted to them.

13. Appointment on Contract

- (1) The eligibility criteria for post to be filled up on contract basis shall be as prescribed in Schedule-II appended to these Regulations subject to guidelines issued by the State Govt. In deserving cases the Commission shall have the discretion to relax eligibility conditions for all Group – A to D posts (except educational qualification) for reasons to be recorded.
- (2) Persons appointed on contract basis shall enter into an agreement which shall govern their broad service conditions of appointment in a format to be prescribed by the Commission.
- (3) Persons appointed on contract basis shall be entitled to a fixed remuneration. Remuneration shall be determined in accordance with resolution/circulars issued by State Govt., General Administration Department and amendment made to them from time to time.

- (4) In case of persons retired from Government/PSU etc. where pension scheme exists, the remuneration plus pension shall not exceed their last pay drawn.
- (5) The services of an employee appointed on contract basis may be terminated on proper and sufficient reasons to be recorded in writing, giving one month's notice or payment of one month salary in lieu thereof.

CHAPTER – V

PAY AND ALLOWANCES

14. Pay Fixation

- (1) The pay revision of regular employees shall be at par with employees of corresponding grade/ scale of pay under State Govt.
- (2) The pay of an employee appointed on regular basis shall be fixed at the minimum stage of the relevant scale of pay.

15. Allowances

- (1) The employees of the Commission appointed otherwise than on contractual basis shall be entitled to Dearness Allowance, City Compensatory Allowance, Conveyance Allowance and House Rent Allowance as admissible to State Govt. employees from time to time.
- (2) The employees of the Commission shall not be eligible for overtime allowance.
- (3) The employees of the Commission appointed on regular basis shall be entitled to such other allowances as may be made applicable to employees of the State Govt. from time to time.

CHAPTER – VI

OTHER CONDITIONS OF SERVICE

16. Leave and other Conditions

- (1) Leave and other conditions of service shall be the same as applicable to employees of the State Govt. of equivalent grade.

- (2) **Leave Travel Concession**

The employees of the Commission appointed otherwise than contractual basis shall be eligible for Leave Travel Concession as admissible to the employees of the State Government from time to time.

- (3) **Medical Attendance**

Regular employees and persons on deputation shall be entitled to reimbursement of expenditure on medical treatment in accordance with Medical Attendance Rules prescribed by State Govt. (Health Department) as revised from time to time by resolution/circulars.

- (4) **General Provident Fund**

The employees of the Commission appointed otherwise than on contractual basis, shall be eligible to subscribe (like employees of State Government/State Public Undertaking/State Autonomous Body) to the General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/New Pension Scheme (as applicable in each case). If an official appointed on deputation is a member of Contributory Provident Fund/New Pension Scheme, the Commission shall bear employer's contribution as applicable in their cases.

(5) **Pension**

The regular employees of the Commission shall be eligible/entitled to pensionary benefits as applicable to the State Govt. employees. However, officers and employees appointed on or after 01.09.2005 (1st Sept. 2005) shall be eligible for New Pension Scheme (NPS).

(6) **Travelling Allowance & Daily Allowance**

The employees of the Commission appointed otherwise than on contractual basis shall be governed by the rules applicable to the State Government employees for the purposes of traveling allowance and daily allowance.

(7) **Transport**

Vehicles as may be required, may be hired for the Secretary and Directors with the approval of the Chairman.

(8) **Residential Telephone**

The Commission shall decide eligibility for residential telephone to its officers on the basis of functional requirements.

CHAPTER – VII

MISCELLANEOUS

17. Applicability of CCA and Conduct Rules

The provisions of the Bihar Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules and Bihar Civil Services (Conduct) Rules as applicable to the State Govt. employees as amended from time to time, shall be applicable to **the employees of the Commission with appropriate modifications.**

18. In respect of any service matter not specifically mentioned in these Regulations, the direct recruit of the Commission will be governed by the service rules of State Govt. employees till appropriate regulations are notified by the Commission.

19. Record of Service and Work Performance

(1) Records of service of all employees shall be maintained in the form approved by the Commission.

- (2) The performance of the officers and staff shall be assessed and reviewed annually in the manner and in the form prescribed by the Commission.

20. Relaxation

The Commission in public interest and for reason to be recorded in writing, may relax any provision of these Regulations including the eligibility criteria for appointment to posts, in appropriate cases, in consultation with the State Govt.

21. Interpretation

If any question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

22. Power to remove Difficulties

The Commission may by order make such provisions or give such directions, as it may deem fit and necessary for the removal of any difficulty that may arise in giving effect to any of the provisions of these Regulations.

By order of the Commission

Secretary,
Bihar Electricity Regulatory Commission,
Patna

-1-

Bihar Electricity Regulatory Commission
(Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and
Employees) Regulations, 2014

SCHEDULE - I

DETAILS OF TECHNICAL, MINISTERIAL AND GROUP 'D' POSTS SANCTIONED IN MARCH, 2002 BY GOVT. OF BIHAR IN THE BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SANCTIONED POSTS - Phase - I & II

GROUP 'A' & 'B' POSTS

Sl. No.	Designation	Pay Band / Scale of Pay (Rs.)	No. of Post	Category
1.	Secretary	37400-67000, G.P-10000	1	Group 'A'
2.	Director (Tariff)	37400-67000, G.P-10000	1	"
3.	Director (Technical)	37400-67000, G.P-10000	1	"
4.	Joint Director (Economics & Commerce)	37400-67000, G.P- 8700	1	"
5.	Joint Director (Engineering)	37400-67000, G.P- 8700	1	"
6.	Joint Director (Distribution)	37400-67000, G.P- 8700	1	"
7.	Joint Director (Transmission)	37400-67000,-G.P -8700	1	"
8.	Joint Director (Law)	37400-67000, G.P- 8700	1	"
9.	Deputy Director (Economics)	15600-39100, G.P- 7600	1	"
10.	Deputy Director (Commerce)	15600-39100, G.P-7600	1	"
11.	Deputy Director (Accounts)	15600-39100, G.P-7600	1	"
12.	Deputy Director Engineering (Transmission Tariff)	15600-39100, G.P-7600	1	"
13.	Deputy Director Engineering (Distribution Tariff)	15600-39100, G.P-7600	1	"
14.	Deputy Director (Personnel)	15600-39100, G.P-7600	1	"
15.	Deputy Director (Statistic and Media)	15600-39100, G.P-7600	1	"
16.	Deputy Director (Distribution)	15600-39100, G.P-7600	1	"
17.	Deputy Director (Transmission)	15600-39100, G.P-7600	1	"
18.	Deputy Director (Generation)	15600-39100, G.P-7600	1	"
19.	I.T. System Manager	15600-39100, G.P-7600	1	"
20.	Financial Analyst	15600-39100, G.P-6600	1	"
21.	Senior Private Secretary	15600-39100, G.P-6600	3	"
22.	Law Officer	9300-34800, G.P-4800	2	Group 'B'
23.	Private Secretary	9300-34800,G.P-4800	3	"
24.	Section Officer (Admn.)	9300-34800, G.P-4800	1	"
25.	Section Officer (Accts.)	9300-34800, G.P-4800	1	"
26.	Office Assistant	9300-34800, G.P-4600	1	"

-2-

GROUP 'C' & 'D' POSTS

27.	Care Taker	5200-20200, G.P-2400	1	Group 'C'
28.	Asstt. Librarian	5200-20200, G.P-2400	1	"
29.	Stenographer	5200-20200, G.P-2400	6	"
30.	Accounts Asstt.	5200-20200, G.P-2400	1	"
31.	Cashier	5200-20200, G.P-2400	1	"
32.	Computer Operator	5200-20200, G.P-2400	5	"
33.	Driver	5200-20200, G.P-1900	3	"
34.	Peon / Orderly	5200-20200, G.P-1800	13	Group 'D'

Bihar Electricity Regulatory Commission
(Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2014

SCHEDULE – II

SI No.	Post	Pay Band/ Scale of Pay	Mode of Recruitment	Essential Educational Qualification & Qualifying Service	Desirable Qualification & Experience
1	2	3	4	5	6
1	Secretary	37400-67000, G.P-10000	Deputation / in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate from a recognized University. 2 Officers holding analogous post on regular basis or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8900, or equivalent with two years regular service or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8700 or equivalent with four years regular service.	1 Experience of working in Regulatory Body preferably in Power Sector 2 Experience of Finance, Engineering, Law, Management or administrative matter related to General Administration in State/Central Govt. / PSU/Statutory Body or in reputed non-govt. organisation. 3 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
2	Director (Tariff)	37400-67000, G.P-10000	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate in Electrical/ Power Engg. from a recognized University. 2 For Deputation and appointment on contract, officer holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8900, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8700 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs. 37400-67000 G.P-8700	1 Experience as electrical engineer in formulation of electricity tariff and analysis, commercial matters, preparation of power purchase agreement in Power Sector utilities. 2 MBA (Power Engg). 3 Knowledge of finance and accounts of a power utility. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
3	Director (Technical)	37400-67000, G.P-10000	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate in Electrical/ Power Engg. from a recognized University. 2 For Deputation and appointment on contract, officer holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8900, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 37400-67000, G.P-8700 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs. 37400-67000 G.P-8700	1 Experience in planning, designing and operation in the matters of generation, transmission and distribution in Power sector of State/Central Govt./PSU/Statutory Body/reputed non-govt. organisation. 2 Experience in electricity system maintenance & operation, grid management. 3 Capability in setting standards in electricity generation, transmission and distribution. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.

1	2	3	4	5	6
4	Joint Director (Economics & Commercial)	37400-67000, G.P-8700	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non- availability on deputation, on contract	1 Post graduate in Economics/Commerce or MBA (Finance) or chartered Accountant or Cost .Accountant or CFA. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, two years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600	1 Professional experience as an economist in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Experience in formulation and analysis of electricity tariff. 3 Data base skill and experience of spreadsheet alongwith analytical modeling.
5	Joint Director (Engineering)	37400-67000, G.P-8700	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non- availability on deputation, on contract	1 Graduate in Electrical/ Power Engineering from a recognized university. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, two years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600	1 Relevant experience in planning system, operation, transmission maintenance and generation technologies with experience of latest technological development in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation 2 Knowledge of setting standards of generation, transmission and distribution of electricity. 3 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
6.	Joint Director (Distribution)	37400-67000, G.P-8700	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non- availability on deputation, on contract	1 Graduate in Electrical/ Power Engineering from a recognized university. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, two years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600	1 Professional experience in transmission and distribution with knowledge of latest technological developments in State/Central Govt./PSU/Statutory Body or reputed non-government organisation. 2 Experience in operation of distribution system 3 Knowledge of Commercial & Economic issue / tariff issue / power purchase agreement. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
7.	Joint Director (Transmission)	37400-67000, G.P-8700	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate in Electrical/ Power Engineering from a recognized university. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, two years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600	1 Professional experience in transmission and distribution with knowledge of latest technological developments in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation 2 Experience of operation of transmission system 3 Knowledge of Commercial & Economic issues / tariff issue / power purchase agreement. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.

1	2	3	4	5	6
8	Joint Director (Law)	37400-67000, G.P-8700	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Law Degree from a recognized University. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600, or equivalent with two years regular service, or in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or equivalent with four years regular service. 3 For appointment on promotion, two years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-7600 or four years service in the pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600.	1 Experience of working on legal matters including proceedings, petition, pleading in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. Experience of administration, commercial and contract law. 2 Experience in drafting rules and regulations. 3 Knowledge of Electricity Laws. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
9	Deputy Director (Economy)	15600-39100, G.P-7600	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Post Graduate in Economics/Commerce or Chartered Accountant or Cost Accountant or, MBA (Finance) or, CFA. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600.	1 Experience as professional Economic analyst in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Ability of preparation of database and experience of spreadsheet including analytical modelling.
10	Deputy Director (Commerce)	15600-39100, G.P-7600	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Post Graduate in Commerce or Mathematics or equivalent or Chartered Accountant or, Cost Accountant or, MBA (Finance) or, CFA. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600.	1 Professional experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation and experience of tariff tariff formulation or cost analysis or financial management. 2 Knowledge of financial accounting procedures in Govt. / Commercial enterprises.
11	Deputy Director (Accounts)	15600-39100, G.P-7600	3[Promotion / in case of non availability for promotion, on deputation and in case of non availability on deputation on contract/direct recruitment]	1 Post Graduate in Commerce or Mathematics or equivalent or Chartered Accountant or Cost Accountant or, MBA (Finance) or, CFA. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600.	1 Professional experience in accounts in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Knowledge of financial procedures of accounts and audit in Govt. or commercial enterprise.

[3] Substituted Serial No. 11 Column 4 by the BERC (Recruitment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) (1st Amendment) Regulations, 2015, 2017 vide Bihar Gazette No. 606 dated 29th May, 2015 (w.e.f. 29.05.2015).

1	2	3	4	5	6
12	Deputy Director, (Engg.) (Trans. Tariff)	15600-39100, G.P-7600	³ [Deputation / in case of non-availability for deputation, on contract/ direct recruitment]	1 Graduate in Electrical/ Power Engg. from a recognized University. 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Experience of electricity tariff issues in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
13	Deputy Director (Engg.)-(Distr. Tariff)	15600-39100, G.P-7600	Deputation / in case of non-availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Graduate in Electrical/ Power Engg. from a recognized University. 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Experience of Electricity tariff issues in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
14	Deputy Director (Personnel)	15600-39100, G.P-7600	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation and in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate from a recognized University. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous posts on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent. 3 For appointment on promotion, three years service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600.	1 Administrative experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation.
15	Deputy Director (Statistics & Media)	15600-39100, G.P-7600	Deputation / in case of non-availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Post Graduate in Statistics or Mass Communication from a recognized University. 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Experience in statistics and Mass communication in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Experience in preparation of presentation and publication.

1	2	3	4	5	6
16	Deputy Director (Distribution)	15600-39100, G.P-7600	Deputation / in case of non- availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Graduate in Electrical / Power Engg. from a recognized University 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Professional experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Operational experience of distribution 3 Knowledge of Commercial & Economic matters / tariff matters / power purchase agreement. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
17	Deputy Director (Transmission)	15600-39100, G.P-7600	Deputation / in case of non- availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Graduate in Electrical / Power Engg. from a recognized University 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Experience of transmission and distribution in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Commercial & Economic matters / tariff matters / power purchase agreements. 3 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
18	Deputy Director (Generation)	15600-39100, G.P-7600	Deputation / in case of non- availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Graduate in Electrical / Power Engg. from a recognized University. 2 For deputation/ contract/ direct recruitment, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent.	1 Professional experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Operational experience of generation. 3 Experience in generation tariff matters/ power purchase agreements. 4 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules and regulations made thereunder.
19	I.T. System Manager	15600-39100, G.P-7600	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation, in case of non-availability on deputation, on contract	1 BE/B.Tech. In Computer/Information Technology or Post Graduate in computer application in above subject. 2 For deputation and for appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis; or with 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 6600 or equivalent; or with 5 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent. 3 For appointment on promotion 3 years service in pay scale of Rs. 15600-39100, G.P-6600 or five years service in the scale of Rs. 15600-39100, G.P-5400. For promotion, graduation in computer application will be sufficient.	1 Experience in computer operation alongwith managerial responsibility in State/Central Govt./PSU/Statutory Body / reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Management and MIS and of Website creation.

1	2	3	4	5	6
20	Financial Analyst	15600-39100, G.P-6600	Deputation / in case of non-availability for deputation, direct recruitment/ on contract	1 Post Graduate in Commerce or Mathematics / Chartered Accountant /Cost Accountant /MBA (Finance) /CFA. 2 For deputation or, on contract, officers holding analogous post on regular basis; or 3 years regular service in the pay scale of Rs.15600-39100, G.P 5400 or equivalent; or with 6 years regular service in the pay scale of Rs.9300-34800, G.P 4800 or equivalent. 3 For direct recruitment, essential educational qualification alongwith three years work experience in above field.	1 Experience in accounts in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Experience in Power Sector.
21	Senior Private Secretary	15600-39100, G.P-6600	Promotion / in case of non-availability for promotion, deputation, in case of non-availability on deputation, on contract	1 Graduate from a recognized University 2 For deputation/appointment on contract, officers holding analogous post on regular basis in State/Central Govt/PSU/Statutory Body or in the pay scale of Rs. 9300-34800, G.P-5400 or equivalent with five years service or, in the pay scale of Rs. 9300-34800, G.P-4800 or, equivalent with seven years service. 3 For promotion, seven years service in the scale of pay of 9300-34800, G.P-4800 4 Knowledge of MS Office, internet and email. 5 Proficiency in short hand & typing.	1 Experience in State/Central Govt./ PSU/ Statutory Body / reputed non-government organisation including service as a private secretary to chief executive. 2 Preference to experience of Electricity Regulatory Body.
22	Law Officer	9300-34800, G.P-4800	Deputation / in case of non-availability for deputation, on contract/ direct recruitment	1 Law graduate from a recognized University. 2 For deputation/ appointment on contract, officers holding analogous post, or three years regular service in the pay scale of Rs. 9300-34800, G.P-4200 or equivalent. 3 For direct recruitment five years experience of legal work.	1 Legal work experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Electricity Act, 2003 and rules & regulations made thereunder.
23	Private Secretary	9300-34800, G.P-4800	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation, in case of non-availability on deputation, direct recruitment/on contract	1 Graduate from a recognized University 2 For deputation / appointment on contract person holding analogous post on regular basis in State/Central Govt/PSU/Statutory Body or four year service in the pay scale of Rs. 9300-34800, G.P-4600 or equivalent or six years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200-G.P-2800 or, equivalent or eight years regular service or in the pay scale of Rs. 5200-20200-G.P-2400. Well versed in computerised word processing. 3 Proficiency in short hand & typing. 4 Knowledge of working on MS Office, internet and email. 5 For promotion four year service in the pay scale of Rs. 9300-34800-G.P-4600 or, eight years service in the pay scale of Rs. 5200-20200-G.P-2400 6 For direct recruitment minimum five years experience as stenographer inclusive of two years experience as private secretary in State/Central 7 Govt./PSU/Statutory body/ reputed non-government organisation alongwith required educational qualification.	1 Experience of stenography/typing including experience as private secretary to chief executive in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Preference to experience of Electricity Regulatory Body.

1	2	3	4	5	6
24	Section Officer (Admn)	9300-34800, G.P-4800	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation, in case of non-availability on deputation, on contract basis	1 Graduate from a recognized University. 2 For deputation/ for appointment on contract, persons holding analogous post on regular basis in State/Central Govt/PSU/Statutory Body or five years regular service in the pay scale of Rs. 9300-34800, G.P-4600 or, equivalent. 3 For promotion, five years service in the Commission in the pay scale of Rs. 9300-34800-G.P-4600.	1 Experience of staff establishment/Administrative matters/maintenance of service records in State/Central Govt./PSU/Statutory body or reputed non-government organisation. 2 Knowledge of service related matters. 3 Knowledge of computer operation.
25	Section Officer (Accounts)	9300-34800, G.P-4800	Promotion / in case of non-availability for promotion, on deputation, in case of non-availability on deputation, on contract basis	1 Commerce Graduate from a recognized University. 2 For deputation/ appointment on contract, person serving as Accountant/Cashier/Accounts Assistant with eight years experience in State/Central Govt/PSU/Statutory Body or person holding analogous post, in State/Central Govt/PSU/Statutory Body. 3 For promotion, five years service in the Commission in the pay scale of Rs. 9300-34800-G.P-4600 or, eight years service in the pay scale of Rs. 5200-20,200, G.P-2400.	1 Experience of drawing and disbursing officer and knowledge of accounting procedure in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation.
26	Office Assistant	9300-34800, G.P-4600	Promotion / in case of non-availability for promotion, direct recruitment	1 Graduate from a recognized University. 2 Knowledge of computer operation. 3 For appointment on promotion four years experience in the Commission in the pay scale of Rs. 5200-20,200, G.P-2400	1 Relevant experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Preference to experience of Electricity Regulatory body.
27	Caretaker	5200-20200, G.P-2400	Direct Recruitment	Graduate from a recognized University.	1 Relevant experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation.
28	Asstt. Librarian	5200-20200, G.P-2400	Direct Recruitment	1 Graduate in Library Science from a recognized University; or Diploma in Library Science from a recognized institution with 3 years relevant experience 2 Should be computer literate.	Experience of operation of library in State/Central Govt./PSU/Statutory Body or reputed non-government organisation.

1	2	3	4	5	6
29	Stenographer	5200-20200, G.P-2400	Direct Recruitment	1 Graduate from a recognized University with proficiency in typing (40 wpm), Shorthand (80 wpm), 2 Knowledge of computer operation including MS office, internet and email.	Relevant experience in State/Central Govt./PSU/Statutory Body or reputed non-government organisation.
30	Accounts Assit.	5200-20200, G.P-2400	Deputation / in case of non-availability on deputation, on contract/ direct recruitment	1 Commerce graduate from a recognized University 2 For appointment on deputation and contract basis person holding analogous post on regular basis or three years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200, G.P-2000 or equivalent.	1 Relevant experience of accounts in State/Central Govt./PSU/Statutory Body/ reputed non-government organisation. 2 Experience of data entry, spreadsheet, alongwith knowledge of computer operation.
31	Cashier	5200-20200, G.P-2400	Deputation / in case of non-availability on deputation, on contract/ direct recruitment	1 Commerce Graduate from a recognized University 2 For appointment on deputation or contract basis person holding analogous post on regular basis or five years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200, G.P-2000 or equivalent.	1 Relevant experience of handling of cash in State/Central Govt./PSU/Statutory Body or, reputed non-government organisation. 2 Knowledge of computer operation.
32	Computer Operator	5200-20200, G.P-2400	Direct Recruitment	1 Graduate from a recognized University and 40 word per minute typing speed, Diploma computing certificate in computer operation from a recognized institution. Knowledge of working in MS office, internet and computer operation.	1 Relevant experience of computer operation in State/Central Govt./PSU/Statutory Body or reputed non-government organisation. 2 Knowledge of Shorthand.
33	Driver	5200-20200, G.P-1900	Direct Recruitment	1 Matriculation or equivalent from a recognized Board. 2 Driving licence of light Motor Vehicle with two years of unblemished experience. 3 Possessing driving licence for 3 years.	1 Proficiency in driving and maintenance of vehicle 2 Fully aware of traffic rules
34	Peon / Orderly	5200-20200, G.P-1800	Direct Recruitment	10 th (Matric) pass or equivalent from a recognized Board.	1 Possess good physique 2 Experience in office work preferred 3 Knowledge of Cycling.

By order of the Commission,

Secretary,
Bihar Electricity Regulatory ommission,
Patna